न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र रतन लाल जैन निवासी पलासिया हाल म.न. 22/123 आदर्श कॉलोनी रोड केकडी पिन–305404

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 02/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2026	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल फाईल है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 125 दिनांक 28.01.2026 से अवगत कराया गया कि तहसीलदार जहाजपुर के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 28.01.2026 से अपीलार्थी को सूचना/जवाब प्रेषित कर दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–01–2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	